आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –71 / 2022
अशोक कुमार
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
09.02.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–2111 / 2022 में दिनांक–25.02.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या–23 / 2017–18 आदेश दिनांक–01.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 25.02.2022 में अंकित है कि– "Several grounds have been raised by the learned counsel for the petitioner, namely, that the order impugned has been passed after 21 months and that the enquiry report has not at all been looked into, but after going through the records, we are of the view that the petitioner ought to exhaust his remedy by filing a revision before the Divisional commissioner of the concerned Division." "Should the petitioner prefer a revision petition before the competent authority, the same shall be taken up for hearing and after affording all opportunities to the petitioner to explain his cause, a final reasoned order shall be passed within a period of sixty days from the date of presentation of a copy of this order before the revisional authority."	

WEB COPY NOT OFFICIAL

उपर्युक्त के आलोक मे वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई एवं पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के निदेशानुसार सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं जिला प्रबंधन बी0एस0एफ0सी0, मुजफ्फरपुर के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक–27.06.2014 को पुनरीक्षणकर्त्ता की जन वितरण प्रणाली की दुकान की जाँच की गई जिसमें निम्न अनियमितता पायी गयीः–

(1) जाँच के क्रम में विक्रेता की दुकान बंद पाई गई।

(2) दुकान से संबद्व 24 उपभोक्ताओं द्वारा मार्च–2014 का गेहूं एवं चावल निर्धारित मात्रा से कम देने तथा मूल्य अधिक लिये जाने की शिकायत की गयी।

(3) श्रीमती रामदुलारी देवी एवं अन्य उपभोक्ताओं को अंत्योदय राशन कार्ड पर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर पी0एच0एच0 कार्ड पर अंकित परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न की आपूर्ति की गयी।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक–705/आपूर्ति दिनांक–23.08.2014 के द्वारा उक्त अनियमितता के लिए विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया, जिसके प्रसंग में विक्रेता द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया। इसी बीच सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर द्वारा 17.12.2015 को विक्रेता के दुकान की पुनः जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि–

(1) निरीक्षण के क्रम में कार्य अवधि में दुकान बंद पायी गयी।

(2) पूछताछ के क्रम में उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा माह अगस्त एवं सितम्बर का ही खाद्यान्न वितरण किया गया है जबकि विक्रेता द्वारा माह नवम्बर तक का खाद्यान्न उठाव किया गया है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक–1490/आ0 दिनांक–25.12.2015 के द्वारा विक्रेता को उपस्थित रहकर साक्ष्य सहित पक्ष रखने का निदेश दिया गया। इसके बाद पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुढनी, मुजफ्फरपुर के द्वारा विक्रेता की दुकान की जांच कर उपभोक्तओं के लिखित ब्यान के साथ जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें निम्न अनियमितता का उल्लेख किया गया।

WEB COPY NOT OFFICIAL

(1) कार्य अवधि में दुकान बंद पायी गयी।

(2) रामपुर काशी गांव के उपभोक्ताओं बसंती देवी एवं अन्य द्वारा विक्रेता के विरूद्व प्रत्येक माह राशन का वितरण नहीं करने, वर्ष में 07–08 माह की राशन देने, माह में 02–03 दिन ही वितरण करने तथा अन्य दिन को लौटा दिये जाने की शिकायत की गयी।

इसके बाद फिर अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दिनांक–16.01.2016 को पुनः रामपुर काशी महादलित टोला में खाद्यान्न वितरण की स्थिति की औचक निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें निम्न अनियमिमता पाये जाने का उल्लेख हैः–

(1) उपभोक्ताओ द्वारा विक्रेता के विरूद्व दुकान का संचालन प्रायः नहीं करने तथा खाद्यान्न मांगने पर लौटाने की शिकायत की गयी।

(2) उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा विक्रेता के विरूद्व वर्ष में 07–08 माह का ही खाद्यान्न वितरण किये जाने की शिकायत की गयी।

(3) 72 उपभोक्ताओं की राशन कार्ड की जांच की गयी जिसमें माह सितम्बर/अक्टूबर तक ही खाद्यान्न वितरण की प्रविष्टि दर्ज थी। उक्त प्रविष्टि के संबंध में उपभोक्ताओं का कहना था कि विक्रेता द्वारा उक्त माहों का खाद्यान्न नही देकर राशन कार्ड पर जबरन प्रविष्टि कर दी गयी है।

उक्त के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी ने अपने ज्ञापांक–126 दिनांक–29.01.2016 द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया, जिसका जवाब जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा दिया गया। विक्रेता द्वारा दाखिल जवाब/कागजात के जांचोपरांत अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक–279 दिनांक–18.03.2016 द्वारा विक्रेता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गयी। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अनुज्ञप्ति रद्दीकरण आदेश के विरूद्व जिलादंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में आपूर्ति अपील वाद सं0–23/2017–18 दायर की गयी। जिलादंडाधिकारी द्वारा सुनवाई के क्रम में अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम मुजफ्फरपुर द्वारा पारित आदेश–279 दिनांक–18.03.2016 को विधि सम्मत् पाते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व पुनरीक्षणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–2111/2022 दायर किया। जिसमें पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय यह वाद दायर है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जांच की तिथि–27.06.2014 को विक्रेता के द्वारा विभागीय निदेशानुसार दुकान खोला गया था, परन्तु सुबह में नाश्ता नहीं करने के कारण जांच पदाधिकारी के आने के कुछ देर पहले खाना खाने दुकान के समीप अपने घर पर चले गये जिस कारण दुकान बंद था। जब तक पुनरीक्षणकर्ता आया तब तक जांच पदाधिकारी जा चुके थे। पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्व 24 उपभोक्ताओं द्वारा खाद्यान्न की निर्धारित मात्रा से कम अनाज दिये जाने तथा अधिक मूल्य लिये जाने का ब्यान असत्य एवं निराधार हैं। पांच उपभोक्ताओं की यह शिकायत है कि अंत्योदय लाभुकों को अंत्योदय कार्ड के आधार पर खाद्यान्न की आपूर्ति नही कर के पी0एच0एच0 कार्ड पर अंकित परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न की आपूर्ति की गयी है। यह पूरी तरह से असत्य है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में खाद्यान्न का वितरण विहित प्रक्रिया के तहत निर्धारित मूल्य पर निर्धारित मात्रा में किया जाता है। उपभोक्तागण प्रत्येक माह खाद्यान्न से वंचित रह जाते है जिसका दायित्व विक्रेता पर नहीं है, बल्कि इसकी जिम्मेवारी प्रशासन पर है। जो उपभोक्ता पहले आते है उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति कर दी जाती है लेकिन बाद में आने वाले वंचित रह जाते है जिसके कारण पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्व शिकायत की जाती है। पुनरीक्षणकर्ता निर्दोष रहते हुए भी प्रशासन की गलती की वजह से शिकायतों का केन्द्र बन जाता है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक आवश्यक वस्तु अधिनियम मुजफ्फरपुर का कथन है कि पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जांच कई बार विभिन्न जांच पदाधिकारियों द्वारा की गयी। प्रत्येक बार उनकी दुकान बंद पायी गयी। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माह नवम्बर के खाद्यान्न का वितरण संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी/समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर का आदेश विधिसम्मत है।

उभय पक्षों को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं जिला प्रबंधन बी0एस0एफ0सी0, मुजफ्फरपुर के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक–27.06.2014 को, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक–17.12.2015, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुढनी, मुजफ्फरपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में गठित टीम दिनांक–16.01.2016 को पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जाँच की गयी। जांच के क्रम में हर बार दुकान बंद पायी गयी एवं उपभोक्ताओं

WEB COPY NOT OFFICIAL

द्वारा उनके विरूद्व वर्ष में 07–08 माह का ही राशन देने एवं माह में 02–03 दिन ही राशन वितरण एवं बाद में आने पर बिना राशन वापस लौटाने का शिकायत की गयी। प्रत्येक बार सक्षम पदाधिकारी द्वारा उनके कारण पृच्छा भी की गयी। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कारण पृच्छा का जवाब भी दिया गया जिसे संतोषजनक नहीं पाया गया है। दुकान बंद रखना ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम 15(i) के प्रतिकूल है। उनके द्वारा प्रायः अपनी दुकान को बंद रखा जाता था। जो विभागीय मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रावधान के प्रतिकूल है। निरीक्षण के क्रम में कई बार उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की जांच की गयी बार–बार खाद्यान्न का वितरण नहीं किये जाने का तथ्य उजागर हुआ। जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में जिस माह का खाद्यान्न वितरण की प्रविष्टि नहीं है उसकी प्रविष्टि भी वितरण पंजी में अंकित है इससे स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने गलती को छिपाने के लिए गलत तरीके से साक्ष्य तैयार किया गया हैं। **बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016** नियमावली के नियम 14(xii) में स्पष्ट अंकित है कि ***अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचि–08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूचि 09 में अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य के दुकान के कारोबार मे सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते है।*** दुकान बंद पया जाना अपीलकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है, न ही उक्त प्रावधान के आलोक में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता ने विषम परिस्थिती में उपलब्ध नहीं रहने पर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को दुकान निर्धारित अवधि में खोलने की व्यवस्था की है। दुकान बंद रखना, निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में अनाज देना एवं अधिक मूल्य पर खाद्यान्न का आपूर्ति करना एवं राशन कार्ड पंजी में गलत प्रविष्टि करने जैसा उनका यह कृत्य **''बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम 14(i),(iv),(v),(viii) एवं (x)** के प्रतिकूल एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 में पारित न्यायादेश के आलोक में भी राशन कार्डो में निर्धारित अवधि में दुकान बंद रखने वाले एवं मिथ्या प्रविष्टियाँ करने वाले '' जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के विरूद्ध कार्रवाई का निदेश है, का उल्लंघन है।

उपर्युक्त के आलोक में समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर के पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद खारिज किया जाता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL